छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 832/2007</u>

1. **श्री केदारनाथ शर्मा,** — *अपीलार्थी*
   हल्दीबाडी, चिरमिरी,
   जिला-कोरिया (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** — *प्रति अपीलार्थी*
   कार्यालय नगर पालिक निगम, चिरमिरी,
   जिला-कोरिया (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 25 फरवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री केदारनाथ शर्मा ने जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम के समक्ष दिनांक 21.05.2007 को जानकारी प्राप्त करने आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उन्हें समय पर जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 02.07.2007 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 30.07.2007 को अपील निरस्त की, जिससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई की गई । प्रकरण में विलंब से जानकारी देने के कारण जन सूचना अधिकारी को पांच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 17.01.2008 को प्रस्तुत किया गया और उत्तर पर भी उभय पक्ष की सुनवाई की गई । अपीलार्थी का यह कहना है कि उन्हें शुल्क की सूचना पहले पूरे ब्यौरे के साथ नही दी गई थी और बाद में दिनांक 30.05.2007 को ब्यौरे की सूचना दी गई और दिनांक 02.06.2007 को शुल्क जमा किया गया तथा दिनांक 01.07.2007 को जानकारी तैयार होना या लेने संबंधी सूचना नही दी गई, अत: जानकारी देने में 30 दिवस से अधिक की अवधि हो गई है तो उन्हें नि:शुल्क जानकारी प्राप्त करने का अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पात्रता आ जाती है । जन सूचना अधिकारी ने अपने विस्तृत उत्तर में बताया है कि उन्हें आवेदन दिनांक 21.05.2007 को सांय 6.00 बजे कोरियर से प्राप्त हुआ था और आवक-जावक शाखा बंद हो गई थी तथा दिनांक 22.05.2007 को ही शुल्क की सूचना दी गई एवं 26.05.2007 को ब्यौरा मांगने पर उन्हें ब्यौरा की सूचना दी गई एवं दिनांक 02.06.2007 को राशि जमा की गई और

दिनांक 29.06.2007 को फ्लाईंग किंग कोरियर के माध्यम से सूचना भेजी गई तथा अपीलार्थी द्वारा सूचना लेने से मना किया गया और कहा कि सोमवार को लाना, उनका यह तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर नि:शुल्क जानकारी प्राप्त करने के लिए कोरियर को मना किया, उन्होंने उत्तर के साथ सहपत्र कमांक-10 में कोरियर पत्र वाहक की टीप भी लगाई है । अत: उपरोक्त उत्तर एवं विवेचना को देखने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक केवल नि:शुल्क जानकारी की पात्रता के लिए यह तर्क प्रस्तुत कर रहा है और इस संबंध में जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषप्रद प्रतीत होता है, अत: उनके विरूद्ध जारी किया गया कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । चूंकि अब प्रकरण में जानकारी प्रदान की जा चुकी है और तर्क के समय आवेदक द्वारा केवल तीन बिन्दुओं पर जानकारी के संबंध में अस्पष्टता बताया गई है, जिसमें पहली बिन्दु कमांक-7 में दौरे में हुये व्यय और टी0ए0डी0ए0 से संबंधित दूसरी नियमित एवं तदर्थ कर्मचारियों से संबंधित तथा तीसरी 01-12-1992 के बारे में दी आवेदनों की अलग-अलग जानकारी है । इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि इन बिन्दुओं के संबंध में अपीलार्थी को एक सप्ताह में नि:शुल्क निरीक्षण कराया जावे और उसके बाद उनसे संबंधित जो भी जानकारी चाहे उन्हें नि:शुल्क 15 दिनों में प्रदान कराई जावे । प्रकरण में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

3/ अत: उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त